बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सा०नि०/स्था०17–05/2020 166 /पटना, दिनांकः– 09/05/22

कार्यालय आदेश

श्री राम सुजान कुमार, तत्कालीन धान क्रय केन्द्र प्रभारी, पी०पी०सी०–01 एवं 02, कुदरा, राज्य खाद्य निगम, कैमूर–सह– प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, मोहनियॉ, कैमूर संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, सोनवर्षा प्रखंड, सहरसा के विरूद्ध प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना का पत्रांक–1463 दिनांक–07.02.2020 के साथ संलग्न जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, कैमूर, (भभुआ) के पत्रांक–60 दिनांक–21.01.2020 द्वारा समर्पित आरोप पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 (4) के तहत निदेशालय के पत्रांक–533 दिनांक–18.03.2020 द्वारा श्री राम सुजान कुमार से अभ्यावेदन की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक–07.07.2020 के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकृत करते हुए निदेशालय के का०आ०सं०–132 सहपठित ज्ञापांक–1729 दिनांक–28.08.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), कैमूर (भभुआ) को संचालन पदाधिकारी तथा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, कैमूर (भभुआ) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। उक्त मामले में श्री राम सुजान कुमार के विरूद्ध कुदरा थाना कांड संख्या–199/17 धारा –409/420 भा०द०वि० दर्ज किया गया है।

श्री राम सुजान कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र के द्वितीय भाग – अवचार या कदाचार के लांछनों का सार में निम्न आरोप गठित किये गये :–

"खरीफ विपणन वर्ष–2013–14 में श्री राम सुजान कुमार के द्वारा धान क्रय केन्द्र पी०पी०सी०–01 एवं 02 कुदरा, कैमूर में कुल 264035.66 क्विंटल धान क्रय किया गया जिसके विरूद्ध श्री कुमार के द्वारा कुल 239885.41 क्विंटल धान विभिन्न राईस मिलरों को उपलब्ध कराया गया तथा अवशेष धन 24150.25 क्विंटल धान क्रय केन्द्र पर रह गया। अवशेष धान की नीलामी की गयी जिसमें श्री कुमार के द्वारा 23246.67 क्विंटल धान निविदा प्राप्त कर्त्ता को उपलब्ध कराया गया एवं 903.58 क्विंटल धान निविदा प्राप्त कर्त्ता को उपलब्ध नहीं कराया गया तथा निजी हित में गबन किया गया है।"

आरोप पत्र के तृतीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन में निम्न आरोप गठित किये गयेः–

खरीफ विपणन वर्ष 2013–14 में श्री रामसुजान कुमार के द्वारा धान क्रय केन्द्र पी०पी०सी०–01 एवं 02 कुदरा, कैमूर में कुल 264035.66 क्विंटल धान क्रय किया गया जिसके विरूद्ध श्री कुमार के द्वारा कुल 239885.41 क्विंटल धान विभिन्न राईस मिलरों को उपलब्ध कराया गया तथा अवशेष धान 24150.25 क्विंटल धान क्रय केन्द्र पर रह गया। अवशेष धान की नीलामी की गयी जिसमें श्री कुमार के द्वारा

" जन्म हो या मरण, जरूरी हैं पंजीकरण"

23246.67 क्विंटल धान निविदा प्राप्त कर्त्ता को उपलब्ध कराया गया एवं 903.58 क्विंटल धान निविदा कर्त्ता को उपलब्ध नहीं कराया गया तथा निजी हित में गबन किया गया है।

अवशेष धान 24150.25 क्विंटल की नीलामी 830.00 रूपये प्रति क्विंटल की दर पर हुयी जबकि खरीफ विपणन मौसम–2013–14 में धान निलामी की न्यूनतम दर 1715.47 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। नीलामी किये गये धान पर 885.47 रूपये प्रति क्विंटल की दर से आर्थिक क्षति हुई है। धान नीलामी के निविदा प्राप्तकर्त्ता को उपलब्ध कराये गये धान 23246.67 क्विंटल पर 885.47 रूपये प्रति क्विंटल की दर से अन्तर राशि 20584228.88 रूपये की क्षति हुयी है एवं 903.58 क्विंटल धान पर 1715.47 रू० प्रति क्विंटल की दर से 1550064.38 रूपये राशि का गबन किया गया है। इस प्रकार कुल राशि 22134293.26 रूपये जो कि सरकारी राशि है, की आर्थिक क्षति राज्य खाद्य निगम को दी गयी है।

उक्त प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में निदेशालय के पत्रांक–533 दिनांक–18.03.2020 द्वारा गठित आरोप प्रारूप पर श्री रामसुजान कुमार से अभ्यावेदन की मॉग की गयी। अपने अभ्यावेदन में श्री कुमार ने कहा है कि उठाव संबंधी S.I.O ससमय निर्गत नहीं किया गया जिससे खुले में धान वर्षो पड़ा रह गया जिसके कारण धान के गुणवत्ता एवं वजन दोनों में कमी आयी। इसके अलावे धान के नमी के कारण नुकसान एवं चूहों इत्यादि के द्वारा भी क्षति पहुॅचा जिसके चलते 903.58 क्विंटल धान निर्गत नहीं किया जा सका ।

उक्त से स्पष्ट है कि क्रय केन्द्र प्रभारी होने के नाते उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि धान की सुरक्षा हेतु समुचित उपाय करते जो इनके द्वारा नहीं किया गया जिससे इतनी अधिक मात्रा में धान की गुणवत्ता में कमी हुई और 903.58 क्विंटल धान की क्षति/गबन हुआ तथा राज्य खाद्य निगम को आर्थिक क्षति हुई।

इस प्रकार निगम को आर्थिक क्षति पहुॅचाने का आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित होता है।

2. श्री राम सुजान कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, प्रभारी विभागीय जॉच, कैमूर (भभुआ) के पत्रांक–114/वि०जॉ० दिनांक–24.07.2021 द्वारा समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने निम्न निष्कर्ष दिया है :–

" आरोप पत्र में वर्णित आरोप, आरोपित कर्मी का बचाव पत्र एवं उपस्थापन पदाधिकारी का प्रतिवेदन/मंतव्य की समीक्षा से स्पष्ट है कि धान की गुणवत्ता की कमी के कई कारण अंकित है, जिस पर पूर्ण नियंत्रण आरोपति कर्मी का प्रतीत नहीं होता है। आरोप पत्र में भी 903.58 क्विंटल धान की क्षति/गबन अंकित है। तथ्यों के आलोक में क्षति स्पष्ट है, परन्तु यह मामला पूर्ण गबन का प्रतीत नहीं होता है। अतः आरोप के लिए आंशिक जिम्मेवारी तय की जा सकती है।"

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप आंशिक प्रमाणित होता है, के समर्पित प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 (3) के तहत निदेशालय के पत्रांक–995 दिनांक– 19.08.2021 द्वारा श्री राम सुजान कुमार से अभ्यावेदन की मांग की गयी। श्री कुमार से उक्त बिन्दु पर अभ्यावेदन अबतक अप्राप्त है। इतनी अवधि के बाद भी उनके द्वारा अभ्यावेदन समर्पित नहीं करने से स्पष्ट है कि इस मामले में श्री कुमार को कुछ नहीं कहना है।

क्रय केन्द्र प्रभारी होने के नाते श्री राम सुजान कुमार की जवाबदेही बनती थी कि क्रय किये गये धान की सुरक्षा हेतु वे समुचित प्रयास करते जो इनके द्वारा नहीं किया गया जिससे अवशेष 24150.25 क्विंटल धान की गुण्वत्ता का ह्रास हुआ एवं उसकी निलामी किये जाने पर 885.47 रूपये प्रति क्विंटल की दर से कुल 2,058,4,228.88 (दो करोड़ अंठावन लाख चार हजार दो सौ अठाईस रूपये अट्ठासी पैसे) रूपये की आर्थिक क्षति हुई एवं 903.58 क्विंटल धान का इनके द्वारा गबन किया गया जिसका मूल्य प्रति क्विंटल की दर से 15,50,064.38(पन्द्रह लाख पचास हजार चौसठ रूपये अड़तीस पैसे) होता है। इस प्रकार कुल 2,21,34,293.26 (दो करोड़ इक्कीस लाख चौतीस हजार दो सौ तिरानवे रूपये छब्बीस पैसे) रूपये की सरकारी राशि की आर्थिक क्षति राज्य खाद्य निगम को हुई । अतः श्री राम सुजान कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए उनपर संचयी प्रभाव के साथ **5 (पाँच)** वेतनवृद्धि अवरूद्ध करने की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया जाता है।

श्री राम सुजान कुमार, तत्कालीन धान क्रय केन्द्र प्रभारी, पी०पी०सी०–01 एवं 02, कुदरा, राज्य खाद्य निगम, कैमूर–सह– प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, मोहनियॉ, कैमूर संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, सोनवर्षा प्रखंड, सहरसा पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (vi) में किये गये प्रावधानों के तहत संचयी प्रभाव के साथ **5 (पाँच)** वेतनवृद्धि अवरूद्ध करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

श्री राम सुजान कुमार से धान क्षति/गबन की राशि 22134293.26 (दो करोड़ इक्कीस लाख चौतीस हजार दो सौ तिरानवे रूपये छब्बीस पैसे) रूपये बसूलनीय दर्शाया गया है। इसके संबंध में आरोप प्रतिवेदक विभाग (बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि०, कैमूर(भभुआ) यदि चाहें तो अलग से विधिसम्मत कार्रवाई कर सकते हैं।

ह०/–
(बैद्यनाथ यादव)
निदेशक

ज्ञापांकः– अ०सा०नि०/स्था०17–05/2020 829 /पटना, दिनांक :– 09/05/22

प्रतिलिपिः– सचिव के सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ)/सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. प्रबंध निदेशक,बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना को उनके पत्रांक–1463 दिनांक–07.02.2020 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, कैमूर (भभुआ) को उनके पत्रांक–60 दिनांक–21.01.2020 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)/सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनवर्षा प्रखंड, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9. श्री राम सुजान कुमार, तत्कालीन धान क्रय केन्द्र प्रभारी, पी०पी०सी०–01 एवं 02, कुदरा, राज्य खाद्य निगम, कैमूर–सह– प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, मोहनियॉ, कैमूर संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, सोनवर्षा प्रखंड, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 9/5